कम्प्यूटर उपकरण की खरीद हेतु लोक सभा सदस्यों की वित्तीय हकदारी योजना

(11.08.2015 तक यथासंशोधित)

लोक सभा सचिवालय

अगस्त, 2015/श्रवना 1937 (शक)

कम्प्यूटर उपकरण का प्रावधान (लोक सभा सदस्य) नियम, 2009 (11.08.2015 तक यथासंशोधित)

1. **संक्षिप्त नाम और विस्तार** - (1) इन नियमों को कम्प्यूटर उपकरण का प्रावधान (लोक सभा सदस्य) नियम, 2009 कहा जाएगा ।

(2) ये नियम लोक सभा सदस्यों पर लागू होंगे ।

2. **परिभा-ाएं** - इन नियमों और प्रक्रियाओं में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न होः-

(क) ' अनुबंध ' से अभिप्रेत है इन नियमों के अनुबंध ।

(ख) ' अधिकृत डीलर/आपूर्तिकर्ता ' से अभिप्रेत है कम्प्यूटर उपकरण के मूल उपकरण विनिर्माता द्वारा अपने उत्पादों की बिक्री के लिए अधिकृत फर्म ।

(ग) 'समिति ' से अभिप्रेत है लोक सभा सदस्यों के लिए कम्प्यूटर का प्रावधान संबंधी समिति।

(घ) ' कम्प्यूटर उपकरण ' से अभिप्रेत है, डाटा के स्टोरिंग, रिट्रिविंग, प्रोसेसिंग, स्कैनिंग, ट्रांसफरिंग और प्रिंटिंग में सक्षम सभी इलेक्ट्रानिक गजेट्स चाहे उनका जो भी नाम हो तथा इनके अनुबंध में विनिर्दि-ट सभी उपकरण शामिल हैं ।

(ड.) इन नियमों के प्रयोजनार्थ " सदस्य " का अर्थ हे लोक सभा का सदस्य ।

(च) " एनआईसी " से अभिप्रेत है भारत सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का रा-ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र ।

(छ) ' प्रक्रिया ' से अभिप्रेत है कम्प्यूटर उपकरण की खरीद हेतु विस्तृत प्रक्रिया और इस योजना के अंतर्गत सदस्यों को प्रतिपूर्ति/अग्रिम भुगतान ।

(ज) ' योजना ' से अभिप्रेत है नियम 4,5 और 6 में यथावर्णित कम्प्यूटर उपकरण हेतु लोक सभा सदस्यों की वित्तीय हकदारी योजना ।

(झ) ' सचिवालय ' से अभिप्रेत है लोक सभा सचिवालय ।

(ञ) ' साफ्टवेयर ' से अभिप्रेत है प्रोग्राम या प्रोग्राम समूह जिसका उपयोग कम्प्यूटर चलाने में होता है तथा इसमें सिस्टम साफ्टवेयर शामिल है ।

(ट) 'एसटीएसी' से अभिप्रेत है नियम 7 के अंतर्गत स्थायी तकनीकी सलाहकार समिति ।

3. समिति का गठन तथा उसके कृत्य - (1) लोक सभा अध्यक्ष लोक सभा के सदस्यों में से एक समिति का गठन करेगा ।

(2) लोक सभा उपाध्यक्ष इस समिति के सभापति होंगे ।

(3) समिति निम्नलिखित मामलों पर विचार करेगीः-

(एक) योजना के अंतर्गत [कम्प्यूटर उपकरण की खरीद के नियमन की प्रक्रिया][1] में समय-समय पर आशोधनों का सुझाव देना;

(दो) इन नियमों के नियम 2 (क) के अनुबंध में शामिल की जाने वाली/शामिल न की जाने वाली कम्प्यूटर उपकरण की मदें;

(तीन) कम्प्यूटर उपकरण के लिए सदस्य की वित्तीय हकदारी की समय-समय पर समीक्षा;

(चार) कम्प्यूटर उपकरण के [मूल उपकरण विनिर्माताओं][2] (ओईएम) की सूची में नाम शामिल करना/लोप करना; ।

(पांच) लोक सभा अध्यक्ष द्वारा भेजे गये कम्प्यूटर हार्डवेयर और साफ्टवेयर से संबंधित कोई अन्य मामले ।

4. कम्प्यूटर उपकरण के लिए सदस्यों की वित्तीय हकदारी योजना - (1) सदस्यों द्वारा कम्प्यूटर उपकरण वित्तीय हकदारी योजना के माध्यम से खरीदे जाएंगे ।

(2) लोक सभा सदस्य के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान इस योजना के तहत कम्प्यूटर उपकरण और साफ्टवेयर खरीदने के लिए किसी सदस्य की वित्तीय हकदारी [3,00,000 रुपये होगी चाहे वह आम चुनाव/उप चुनाव में निर्वाचित हुआ/हुई हो अथवा उसे संविधान के अनुच्छेद 331 के तहत रा-ट्रपति द्वारा नामनिर्दि-ट किया गया हो][3]

(i) [*** *** ***][4]

(ii) [*** *** ***][5]

---

1 दिनांक 13.10.2010 से " कम्प्यूटर उपकरण की खरीद के स्थान पर प्रक्रिया " शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

2. दिनांक 13.10.2010 से " मूल उपकरण विनिर्माताओं के प्राधिकृत डीलर/आपूर्तिकर्त्ता " शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

3. 13.01.2015 से अतःस्थापित ।

4. (एक) दिनांक 13.01.2015 से " आम चुनाव में लोक सभा के लिए निर्वाचित किसी सदस्य अथवा संविधान के अनुच्छेद 331 के तहत रा-ट्रपति द्वारा नामनिर्दि-ट किसी सदस्य के लिए [2,00,000 रुपये] तक " शब्दों का लोप

5. (दो) दिनांक 13.01.2015 से " उप चुनाव में निर्वाचित/रा-ट्रपति द्वारा नामनिर्दि-ट किसी सदस्य के लिए जिसका कार्यकाल 3 व-र्ा से कम है 1,50,000 रुपये तक " शब्दों का लोप ।

(3) सदस्य इस योजना के अंतर्गत अनुबंध में विनिर्दि-ट कम्प्यूटर उपकरण की कोई अथवा सभी मदें खरीदने का हकदार होगा । [***][6]

(4) सदस्य **अपने** कार्यकाल के दौरान किसी भी समय अनुबंध में विनिर्दि-ट कम्प्यूटर उपकरण का कोई भी मॉडल और साफ्टवेयर अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकेगा । सदस्य अनुबंध में विनिर्दि-ट [एक से अधिक कम्प्यूटर उपकरण][7] भी खरीद सकेगा/सकेगी बशर्ते कि प्रतिपूर्ति/अदायगी की कुल राशि इस नियम के उप-नियम (2) के तहत 'हकदारी' से अधिक नहीं होगी ।

परंतु यह कि यदि किसी मामले में किसी सदस्य द्वारा खरीदे गए उपकरण की कीमत उसकी वित्तीय हकदारी से अधिक है तो तत्संबंधी अंतर सदस्य द्वारा स्वयं वहन किया जाएगा ।

(5) कोई सदस्य विनिर्दि-ट प्रक्रिया के अनुसार कम्प्यूटर उपकरण खरीदेगा । [***][8]

(6) [*** *** ***][9]

(7) [योजना के अंतर्गत सदस्य द्वारा खरीदा गया कम्प्यूटर उपकरण सदस्यता समाप्त होने की दशा में भी सदस्य के पास रहेगा ।][10]

5. **कम्प्यूटर उपकरण की खरीद के लिए प्रतिपूर्ति/अदायगीः** कम्प्यूटर उपकरण की खरीद, बीजक प्रपत्र के प्रति प्रतिपूर्ति/अदायगी विनिर्दि-ट प्रक्रिया से विनियमित होगी।

6. **कम्प्यूटर उपकरण का रख-रखाव तथा बीमाः** सदस्य को यह निर्णय करना है कि वे इस योजना के अंतर्गत खरीदे गए कम्प्यूटर उपकरण का बीमा कराना चाहते हैं या नहीं । कम्प्यूटर उपकरण के बीमा तथा रख-रखाव की व्यवस्था सदस्य को स्वयं करनी पड़ेगी ।

---

6. दिनांक 13.01.2015 से " तथापि उपरोक्त वित्तीय हकदारी का लाभ उठाने के लिए सदस्य के लिए ई-रीडर डिवाईस खरीदना अनिवार्य होगा " शब्दों का लोप ।
7. दिनांक 13.10.2010 से " कम्प्यूटर उपकरण का कोई मिक्स " शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
8. दिनांक 13.10.2010 से " मूल उपकरण विनिर्माताओं के प्राधिकृत डीलरों/आपूर्तिकर्त्ताओं से " शब्दों का लोप किया गया ।
9. दिनांक 14.11.2011 से लोप किया गया ।
10. दिनांक 11.08.2015 से 'योजना के अंतर्गत सदस्य द्वारा खरीदा गया कम्प्यूटर उपकरण सदस्य के पास रहेगा । तथापि, सदस्यता समाप्त में सदस्य को मौजूदा आयकर नियमों के अनुसार कम्प्यूटर की मूल्य ह्रास कीमत जमा करनी होगी' शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापितकिया।

7. **स्थायी तकनीकी सलाहकार समिति (एसटीएसी)** - (1) महासचिव समय-समय पर सचिवालय, एनआईसी या सूचना प्रौद्योगिकी की विशे-ज्ञता वाले किसी अन्य संगठन के अधिकारियों वाली एक स्थायी तकनीकी सलाहकार समिति गठित करेंगे । एसटीएसी के चेयरमैन लोक सभा सचिवालय से होंगे ।

(2) **कार्यः** एसटीएसी निम्नलिखित मामलों पर सलाह देंगीः

(एक) विशे-न रूप से सदस्यों की वित्तीय हकदारी में संशोधन तथा अनुबंध में कम्प्यूटर उपकरण की सूची में योग/लोप/संशोधन के समय में योजना की पुनरीक्षा ।

(दो) समय-समय पर कम्प्यूटर उपकरण की [मूल उपकरण विनिर्माताओं की सूची][11] को तैयार करना तथा अद्यतन करना;

(तीन) कम्प्यूटर उपकरण की खरीद हेतु मानक तथा संरूप सुझाना;

(चार) समय-समय पर कम्प्यूटर उपकरण की खरीद हेतु प्रक्रिया में संशोधन सुझाना; और

(पांच) अन्य कोई मामला जो इसे तकनीकी सलाह के लिए भेजा गया हो ।

8. **नियमों में संशोधन करने की शक्तिः** इन नियमों में किसी भी प्रावधान के बावजूद लोक सभा के माननीय अध्यक्ष के अनुमोदन से इन नियमों में कोई संशोधन किया जाएगा/छूट दी जाएगी ।

9. **निरसनः** इन नियमों के लागू होने से पूर्व उक्त नियमों के अंतर्गत किए गए किसी कार्य से प्रभावित हुए बिना संसद सदस्यों, राजनीतिक दलों तथा अधिकारियों को कम्प्यूटरों के प्रावधान-नियम तथा प्रक्रियायें, 1999 को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है ।

---

11. दिनांक 13.10.2010 से " मूल उपकरण विनिर्माताओं के प्राधिकृत डीलरों/आपूर्तिकर्त्ताओं, जिनसे सदस्य खरीद सकते हैं, की सूची " शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

अनुबंध-एक

कम्प्यूटर उपकरण और सॉफ्टवेयर मदें

[देखिए नियम 4 का उपनियम (4)]

1. डेस्कटॉप कम्प्यूटर
2. लैपटॉप कम्प्यूटर
3. पेन ड्राइव
4. सीडी/डीवीडी (अधिकतम एक सौ)
5. प्रिंटर (डेस्कटॉप/लेजरजेट/मल्टीफंक्शन/पोर्टेबल)
6. स्कैनर
7. यूपीएस (केवल डेस्कटॉप के साथ)
8. हैंडहेल्ड कम्यूनीकेटर/पामटॉप कम्प्यूटर
9. डाटा इंटरनेट कार्ड
10. एमएस ऑफिस स्यूट
11. एंटी वायरस सॉफ्टवेयर
12. लैंग्वेज सॉफ्टवेयर एंड स्पीच रिकाग्निश्न सॉफ्टवेयर
[13. कम्प्यूटर से संबंधित अन्य सामग्री][12]
[14. ई-रीडर][13]

---

12. दिनांक 13.10.2010 से अंतःस्थापित ।
13. दिनांक 14.09.2011 से अंतःस्थापित ।

कम्प्यूटर उपकरण का प्रावधान (लोक सभा सदस्य) नियम, 2009 के अंतर्गत कम्प्यूटर उपकरण की खरीद के नियमन की प्रक्रिया

कम्प्यूटर उपकरण का प्रावधान (लोक सभा सदस्य) नियम, 2009 का लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा अनुमोदन किया गया है । तदनुसार, [आम चुनाव/उप-चुनाव में निर्वाचित अथवा रा-ट्रपति द्वारा नामनिर्देशित लोक सभा सदस्य 3,00,000 रुपये की वित्तीय सीमा के अंतर्गत कम्प्यूटर उपकरण की खरीद के लिए पात्र हैं][1] सदस्य नहीं रह जाने के पश्चात् खरीदा गया कम्प्यूटर उपकरण उनके पास रहेगा । कम्प्यूटर उपकरण की खरीद तथा तत्संबंधी प्रतिपूर्ति अथवा कम्प्यूटर उपकरण के लिए अग्रिम के लिए भुगतान की प्रक्रिया निम्नांकित होगीः

I. ग्राह्य हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर

1. कोई सदस्य नियमों के नियम 4 के अंतर्गत यथा उपबंधित अपनी वित्तीय पात्रता के अध्यधीन निम्नांकित सभा अथवा कोई कम्प्यूटर उपकरण उपकरण खरीद सकता हैः

1. डेस्कटॉप कम्प्यूटर
2. लैपटॉप कम्प्यूटर
3. पेन ड्राइव
4. सीडी/डीवीडी (अधिकतम एक सौ)
5. प्रिंटर (डेस्कटॉप/लेजरजेट/मल्टीफंक्शन/पोर्टेबल)
6. स्कैनर
7. यूपीएस (केवल डेस्कटॉप के साथ)
8. हैंडहेल्ड कम्यूनीकेटर/पामटॉप कम्प्यूटर
9. डाटा इंटरनेट कार्ड
10. एमएस ऑफिस स्यूट
11. एंटी वायरस सॉफ्टवेयर
12. लैंग्वेज सॉफ्टवेयर एंड स्पीच रिकाग्निशन सॉफ्टवेयर

[13. कम्प्यूटर से संबंधित अन्य सामग्री][2]

[14. ई-रीडर][3]

---

1. दिनांक 13.01.2015 से " आम चुनाव में निर्वाचित अथवा रा-ट्रपति द्वारा नामनिर्देशित अथवा 3 व-र् से कम अवधि के लिए उप चुनाव द्वारा निर्वाचित/नामनिर्देशित लोक सभा सदस्य 2,00,000 रुपये अथवा 1,50,000 रुपये की वित्तीय सीमा के अंतर्गत, जैसा भी मामला हो, कम्प्यूटर उपकरण खरीदने का/की हकदार है " शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

2. दिनांक 13.10.2010 से अंतः स्थापित ।

3. दिनांक 14.09.2011 से अंतः स्थापित ।

II. डेस्कटॉप कम्प्यूटरों/प्रिंटरों की खरीद

2. कोई सदस्य निम्नांकित मूल उपकरण विनिर्माताओं (ओईएम) के प्राधिकृत डीलरों/आपूर्तिकर्ताओं से [डेस्कटॉप कम्प्यूटरों][4] की खरीद कर सकता/सकती हैः

1. मैसर्स एसर इंडिया लिमिटेड
2. मैसर्स डेल लिमिटेड
3. मैसर्स एचसीएल इंफोसिस्टम्स लिमिटेड
4. मैसर्स एचपी इंडिया लिमिटेड
5. मैसर्स लेनेवो इंडिया लिमिटेड
6. मैसर्स पीसीएस लिमिटेड
7. मैसर्स विप्रो लिमिटेड
8. मैसर्स एप्पल आईएनसी][5]
9. मैसर्स सोनी इंडिया लिमिटेड][6]
10. मैसर्स सैमसंग इंडिया लिमिटेड][7]

3. कोई भी सदस्य किसी भी ब्रांड के प्रिंटर, स्कैनर एवं यूपीएस की खरीद करने के लिए स्वतंत्र है । [***][8]

4. ऐसे मामले में जब कोई सदस्य ऐसे किसी ख्यातिप्राप्त ब्रांड का डेस्कटाप खरीदता है जो उपरोक्त पैरा 2 में उल्लिखित स्वीकृत ब्रांडों में से कोई एक नहीं है तो उससे संबंधित बिल/दावा [समिति के सभापति के अनुमोदन][9] के अध्यधीन स्वीकृत किया जाएगा ।

5. किसी भी सदस्य को उक्त विनिर्माताओं के प्राधिकृत डीलरों/आपूर्तिकर्ताओं से डेस्कटॉप की खरीद करनी चाहिए । वे [उक्त ओईएम के डेस्कटॉप कम्प्यूटर तथा अन्य उपकरण][10] अपनी पसंद के किसी विक्रेता से भी खरीद सकते हैं, तथापि, इस मामले में उन्हें कंपनी के उत्पादों की प्रामाणिकता, वारंटी कवर और बिक्री के पश्चात् सेवा सहायता की गुणवत्ता के संबंध में संतुि‍ट कर लेनी चाहिए ।

III. लैपटॉप/पॉमटॉप

6. सदस्यों को लैपटाप कम्प्यूटर और पॉमटॉप कम्प्यूटर मे चयन के संबंध में पूरी स्वतंत्रता है और वे उसके किसी मॉडल/ब्रांड की खरीद किसी भी विक्रेता से कर सकते हैं । तथापि, उन्हें कंपनी के उत्पादों की प्रामाणिकता, वारंटी कवर और बिक्री के पश्चात् सेवा सहायता की गुणवत्ता से संतु-ट हो लेना चाहिए ।

---

4. दिनांक 14.09.2011 से " उपरोक्त कम्प्यूटर उपकरणों " शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
5. दिनांक 13.01.2015 से अंतः स्थापित ।
6. दिनांक 13.01.2015 से अंतः स्थापित ।
7. दिनांक 13.01.2015 से अंतः स्थापित ।
8. दिनांक 13.10.2010 से लोप ।
9. दिनांक 13.10.2010 से " समिति के अनुमोदन " शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
10. दिनांक 13.10.2010 से " उक्त ओईएम के डेस्कटॉप कम्प्यूटर तथा प्रिंटर " शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[IV. ई रीडर][11]

7. [सदस्य अपनी वित्तीय हकदारी से संसदीय पत्रों को सुलभ रूप में प्राप्त करने तथा संसदीय दस्तावेजों की पेपर प्रतियों पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए अनुकूल संसदीय अनुप्रयोगों को देखते हुए आईओएस अथवा एंड्रॉयड-आधारित ई-रीडर डिवाइस अथवा ई-रीडर डिवाइस की सुविधाओं वाले उपकरण की खरीद कर सकता/सकती है][12] तथापि, सदस्य को उत्पाद की विश्वसनीयता, वारंटी कवर और बिक्री के पश्चात् सेवा सहायता की गुणवत्ता से संतु-ट हो लेना चाहिए ।

[*** **** ****][13]

[*** **** ****][14]

V. अन्य उपकरण/साफ्टवेयर

8. किसी सदस्य द्वारा डाटा इंटरनेट कार्ड की खरीद के मामले में ऐसे टैरिफ प्लान्स की प्रतिपूर्ति जिसमें डाटा इंटरनेट कार्ड की लागत सम्मिलित है अनुमेय होगी ।

9. सदस्यों को नियमों में विहित योजना के अंतर्गत खरीदे गए कम्प्यूटर में प्रयोग हेतु लाइसेंस प्राप्त साफ्टवेयर खरीदना चाहिए ।

10. सदस्य खरीद की तारीख से तीन व-र्षों की अवधि के पश्चात् कम्प्यूटर हार्डवेयर का उन्नयन करने का/की पात्र होगा/होगी । तथापि, इस प्रकार के उन्नयन की लागत कम्प्यूटर उपकरण का प्रावधान (लोक सभा सदस्य) नियम, 2009 के नियम 4 में विहित अधिकतम सीमा [3,00,000 रुपये][15] तक समिति होगी ।

---

11. दिनांक 14.09.2011 से अंतःस्थापित ।
12. दिनांक 13.01.2015 से " सदस्य को अपनी वित्तीय हकदारी से संसदीय पत्रों को सुलभ रूप में प्राप्त करने तथा संसदीय दस्तावेजों की पेपर प्रतियों पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए अनुकूल संसदीय अनुप्रयोगों को देखते हुए अनिवार्य रूप से आईओएस अथवा एंड्रॉयड-आधारित ई-रीडर डिवाइस की खरीद करनी होगी । वे आदर्श तौर पर अधिकृत डीलरों/एप्पल या सैमसंग ओईएम आपूर्तिकर्ताओं से **आईओएस आधारित एप्पल आई पैड अथवा एंड्रॉयड आधारित सैमसंग गैलेक्सी टैब की ई-रीडर डिवाइस** खरीद सकते है " शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
13. दिनांक 13.01.2015 से " यदि सदस्य एप्पल और सैमसंग के अलावा मूल उपस्कर विनिर्माताओं (ओईएम) का आईओएस अथवा एंड्रॉयड-आधारित ई-रीडर डिवाइस खरीदते हैं तो समिति के सभापति के अनुमोदन के अध्यधीन उसका बिल/दावा स्वीकृत किया जाएगा " उप पैरा का लोप।
14. दिनांक 13.01.2015 से " जब सदस्य ई-रीडर के बिना कम्प्यूटर उपस्कर खरीदना चाहें तो उनकी वित्तीय हकदारी 1,50,000/- रुपए अथवा 1,00,000/- रुपए जैसी भी स्थिति हो, की धनराशि तक समिति होगी " उप पैरा का लोप ।
15. दिनांक 13.01.2015 से " 2,00,000 रुपये अथवा 1,50,000 रुपये, जैसा भी मामला हो " शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

VI. बीजक प्रपत्र की प्रतिपूर्ति/भुगतान

11. नियम 4 के उपनियम (2) उपनियम (3) और उपनियम (4) के प्रावधानों के अध्यधीन, सदस्य इस योजना का लाभ निम्नलिखित में से किसी एक प्रक्रिया को अपनाकर प्राप्त कर सकता/सकती हैः

(एक) सदस्य कम्प्यूटर उपकरण की खरीद ओईएम से कर सकता/सकती है तथा भुगतान करने का प्रमाण (मूल रूप में) कम्प्यूटर (हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर) प्रबंधन शाखा को प्रतिपूर्ति हेतु भेज सकता/सकती है । कम्प्यूटर (हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर) प्रबंधन शाखा प्रमाणित किए जाने पर संसद सदस्य वेतन तथा भत्ता शाखा (एमएसए) , सदस्य को इसकी प्रतिपूर्ति करेगी;

अथवा

(दो) सदस्य खरीदे जाने वाले कम्प्यूटर उपकरण के लिए बीजक प्रपत्र ला सकता/सकती है । कम्प्यूटर (हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर) प्रबंधन शाखा द्वारा प्रमाणन के बाद संसद सदस्य वेतन और भत्ता शाखा (एमएसए) , द्वारा सीधे डीलर/आपूर्तिकर्त्ता का भुगतान किया जाएगा । [सदस्य को निपटान और लेखा परीक्षा के प्रयोजनार्थ सचिवालय को भुगतान की धनराशि जारी किए जाने की तारीख से 30 दिनों के भीतर विधिवत सत्यापित क्रय का मूल सबूत उपलब्ध कराना होगा ।]

12. आपूर्तिकर्त्ता द्वारा जारी बिल/बीजक/कोई अन्य दस्तावेज क्रय को एक ग्राह्य सबूत माना जाएगा बशर्ते कि इसमें

(एक) बेचे गए प्रत्येक उपकरण की क्रम संख्या;
(दो) यह तथ्य कि वस्तुओं को डिलीवर कर दिया गया है; और,
(तीन) यह तथ्य कि पूरा भुगतान प्राप्त हो गया है;

अंतर्वि-ट हो/प्रदर्शित हो ।

VII. कठिनाइयों को दूर करना

13. इस प्रक्रिया को लागू करने के परिणामस्वरूप यदि कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो, समिति उस कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या समुचित प्रावधान करेगी, बशर्ते कि ऐसे प्रावधान नियमों के प्रावधानों के विरूद्ध न हों ।